राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

41 / 2012

दिनांक 13 फरवरी, 2012 को सरक्यूलेशन के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक: एफ. 16(1)( )ब.घो.सं.66 / 11–12 / वि.क. / सान्याअवि / 3814 दिनांक 07 फरवरी, 2012 में अंकित राज्य में पृथक से "विशेष योग्यजन निदेशालय" स्थापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए ज्ञापन के संलग्न तत्संबंधी अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया ।

(एस. अहमद)
मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
डी. 41 / मं.मं. / 2012
जयपुर, दिनांक: 14 फरवरी, 2012

सत्यमेव जयते

विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

फाल्गुन 16, मंगलवार, शाके 1933–मार्च 6, 2012
Phalguna 16, Tuesday, Saka 1933–March 6, 2012

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 1, 2012

संख्या एफ 16 (1)( )ब.घो.सं.66/11-12/वि.क./सान्याअवि/133 :-राजस्थान राज्य में विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं, प्रावधानों, अधिनियमों एवं नियमों का त्वरित लाभ दिये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार एतद्द्वारा विशेष योग्यजन निदेशालय का गठन करती है-

विशेष योग्यजन निदेशालय की संरचना

विशेष योग्यजन निदेशालय में राज्य सरकार द्वारा निम्न पद सृजित किये गये है :-

क्र. सं.	स्वीकृत पद	संख्या	पे-बैण्ड/ग्रेड-पे	सेवा जिससे नियुक्ति की जानी है
1.	निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव	1	37400-67000(8700)	राजस्थान प्रशासनिक सेवा से (सुपर टाईम वेतन श्रृंखला)
2.	अतिरिक्त निदेशक	1	15600-39100(7600)	राजस्थान प्रशासनिक सेवा से (चयनित वेतनमान श्रृंखला)
3.	उप निदेशक	1	15600-39100(6000)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	1	15600-39100(3600)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से
5.	लेखाधिकारी	1	15600-39100(5400)	राज्य लेखा सेवा
6.	सहायक प्रोग्रामर	1	9300-34800(3200)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
7.	वरिष्ठ निजी सहायक	1	9300-34800 (4200)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से
8.	स्टेनो	1	9300-34800 (3200)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से
9.	लेखाकार	1	9300-34800(3600)	कोष एवं लेखा विभाग
10.	सांख्यिकी सहायक	1	9300-34800(3600)	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
11.	कार्यालय अधीक्षक	1	9300-34800(3600)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/अन्य विभाग से
12.	कनिष्ठ लेखाकार	1	9300-34800(3200)	कोष एवं लेखा विभाग
13.	कार्यालय सहायक	1	9300-34800(3200)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग /अन्य विभाग से
14.	वरिष्ठ लिपिक	3	5200-20200(2400)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ अन्य विभाग से
15.	कनिष्ठ लिपिक	5	5200-20200(1900)	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ अन्य विभाग से
16.	च.श्रे. कर्मचारी	7	2550-3200(1300)	सेवा निवृत कर्मचारी/नियमित कर्मचारी

विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा किये जाने वाले कार्य

विशेष योग्यजनों को रोजगार उन्मुख बनाने हेतु विश्वास योजना, कृत्रिम अंग उपकरण सहायता, विकंलाग छात्रवृति योजना, राज्य में निःशक्तजनों का चिन्हीकरण कार्य, विवाह हेतु सुखद जीवन योजना, विकलांगो के पोलियो करैक्शन के कार्य भिन्न योग्यजनों के पेंशन संबंधी कार्य, शारीरिक एवं मानसिक विशेष योग्यजनों को शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं अन्य योजनाओं के कार्यों को सम्पादित करना।

निदेशालय द्वारा आयोजना मद, आयोजना भिन्न मद एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत आवंटित बजट का उपयोग कर, विशेष योग्यजन को लाभान्वित करना।

विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ विद्यमान निम्न प्रावधानों, अधिनियमों एवं नियमों की प्रभावी एवं त्वरित पालना सुनिश्चित करना :-

1. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
2. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्ततागस्त व्यक्ति कल्याण अधिनियम, 1999
3. भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम, 1992 और संशोधन अधिनियम, 2000
4. संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य।
5. निःशक्त व्यक्तियों का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 2007
6. राजस्थान निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011

इसके अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ कार्य करना।

विशेष योग्यजन निदेशालय हेतु बजट प्रावधान

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ जो भी बजट निदेशालय को आवंटित होगा उसका उपयोग विशेष योग्यजनों हेतु किये जाने का दायित्व विशेष योग्यजन निदेशालय का होगा।

वेतन एवं भत्तों का भुगतान

विशेष योग्यजन निदेशालय में पदस्थापित कार्मिकों हेतु वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा एवं राज्य सरकार द्वारा निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्तें एवं कार्यालय हेतु आवश्यक राशि के भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि के बजट का प्रावधान किया जायेगा।

कार्य एवं शक्तियां

विशेष योग्यजन से संबंधित समस्त कार्य विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा सम्पादित किये जायेगे। निदेशालय द्वारा संचालित समस्त योजनाओं, गतिविधियों, प्रावधानों, अधिनियमों, नियमों की पालना सुनिश्चित कराने का दायित्व एवं निदेशालय से संबंधित समस्त शक्तियों के प्रयोग करने का अधिकार निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव को होगा।

By Order and in the name of the Governor,
विश्राम मीणा,
Deputy Secretary to the Government.

739

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।